

अभिरूचि की अभिव्यक्ति (E.O.I.)

तेजी से बढ़ने वाली उच्च उत्पादकता (Fast Growing High Yielding, FGHY) वाली व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बांस की नयी किस्मों का विकास

1. मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन ने वर्षा वन अनुसंधान संस्थान (RFRI), जोरहट, असम से छः प्रजातियों के सुपीरियर जर्मप्लाज्म विकसित करने के लिये अनुबंध किया है। इस अनुबंध के अंतर्गत निर्धारित कार्य करने के लिये मिशन के साथ जुड़कर कार्य करने के इच्छुक मध्यप्रदेश की बायोटेक्नालॉजी प्रयोगशालाओं की आवश्यकता है। RFRI से किये गये अनुबंध की छायाप्रति संलग्न है।
2. मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन बांस की विभिन्न प्रजातियों से उन्नत किस्म की पौध तैयार करने के लिये प्रदेश की सभी निजी बायोटेक्नालॉजी लेब व इस क्षेत्र में कार्य कर रही अनुसंधान शालाओं से इस आशय की निविदा आमंत्रित की जा रही है कि बांस मिशन द्वारा चिन्हित की गई 6 बांस प्रजातियों से सायन मटेरियल प्राप्त कर उनसे माईक्रो प्रोपोगेशन टेक्निक से प्रजनन कर मिशन को पौधे उपलब्ध कराये। इन पौधो की विक्रय दरों को निविदाकार द्वारा सीलबंद निविदा के माध्यम से फार्म नं. 1 (फायनेन्सियल बिड) में देना होगा। विक्रय दरों को निविदाकार इस प्रकार तय कर सकते है जिससे उनके द्वारा विकसित किये जाने वाले पौधो के कल्चर व प्रोटोकाल पर आने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति हो सकें। जिस निविदाकार की प्रजाति विशेष के RFRI से प्राप्त उन्नत गुणसूत्रीय भिर्रो से विकसित किये गये पौधे की विक्रय दर न्यूनतम होगी उसे उस प्रजाति के उन्नत गुणसूत्रीय भिर्रो से प्रोटोकाल व उसकी कल्चर विकसित किये जाने हेतु स्वीकृति दी जायेगी।
3. मध्य प्रदेश में निम्न बांस की प्रजातियों के उन्नत गुणसूत्रीय भिर्रो से पौधे तैयार करने के लिये निविदाएँ आमंत्रित है –
 1. बेम्बूसा बालकुआ
 2. बेम्बूसा नूटन्स
 3. बेम्बूसा टुल्डा
 4. बेम्बूसा केचरेन्सिन
 5. डेन्ड्रोकेलेमस हेमिलटोनी
 6. थ्रिस्टेचीज ओलीवरी
4. निजी क्षेत्र की भारत शासन के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बायोटेक्नालॉजी विभाग से मान्यता प्राप्त NCS-TCP प्रमाण पत्र प्राप्त बायोटेक्नोलॉजी प्रयोगशालाओं को सूचीबद्ध करने के लिये अभिरूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) आमंत्रित की जा रही है। प्रयोगशालाओं को विज्ञापन के अनुसार सिर्फ तकनीकी बिड प्रस्तुत करनी है। तकनीकी

बिड दिनांक 28.07.2018 को दोपहर 03.00 बजे तक प्राप्त की जायेंगी व उसी दिन दोपहर 03.30 बजे उपस्थित बिडर्स के समक्ष खोली जावेगी। तकनीकी बिड में उपयुक्त पाये गये बिडर्स (प्रयोगशालाओं) को प्री फाईनेन्सियल बिडिंग ब्रीफिंग उसी दिन अपरान्ह 04.00 बजे की जावेगी। ब्रीफिंग के लिये भोपाल यात्रा का कोई टी.ए., डी.ए. मिशन द्वारा देय नहीं होगा, स्वयं के व्यय पर आना होगा। बांस मिशन के अधिकारियों द्वारा निविदाकर्ता प्रयोगशालाओं का अवलोकन भी किया जा सकता है। ब्रीफिंग के बाद इन प्रयोगशालाओं से वित्तीय बिड मांगी जायेगी। वित्तीय बिड फार्म 1 में दिये गये प्रारूप में देना होगी।

5. तकनीकी बिड हेतु आवश्यक मापदंड निम्न होंगे –

5.1. निविदाकार की स्वयं की बायोटेक्नोलॉजी की प्रयोगशाला हो जिसमें कम से कम एक बायोटेक्नोलॉजी वैज्ञानिक कार्य कर रहा हो। कार्य कर रहे वैज्ञानिकों की योग्यता व अनुभव की जानकारी के लिये सी.व्ही. संलग्न किया जाये।

5.2. टिशु कल्चर से प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख बांस पौधे उत्पादित करने की क्षमता की प्रयोगशाला हों। इस बाबत प्रमाण साथ में संलग्न करें।

5.3. प्रयोगशाला की अनुसंधान क्षमता इस प्रकार की हो कि किसी भी बांस के सायन मटेरियल से टिशु कल्चर विधि से कल्चर विकसित कर उससे रोपण लायक पौधे तैयार किये जा सकें। इस बाबत प्रमाण पत्र साथ में संलग्न करें।

5.4. बांस की कल्चर विकसित करने का पूर्व अनुभव हों। पूर्व अनुभव का विस्तृत विवरण दिया जावे।

6. प्रयोगशाला के पास भारत शासन के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बायोटेक्नालॉजी विभाग से मान्यता प्राप्त NCS-TCP प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

7. संबंधित अनुबंध की पूर्ति के लिये म.प्र. राज्य बांस मिशन की सहयोगी बायोटेक्नालॉजी प्रयोगशालाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रेखांकित की गई है। अतः RFR1 से किये गये अनुबंध द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये राज्य बांस मिशन की सहयोगी प्रयोगशाला के रूप में कार्य करने की इच्छुक प्रयोगशालाओं से प्रस्तावित अनुबंध का प्रारूप निम्नानुसार है—

यह अनुबंध म.प्र. राज्य बांस मिशन मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसायटी, खेल परिसर, 74 बंगला भोपाल (प्रथम पक्ष) एवं मेसर्स
(द्वितीय पक्ष) के बीच दिनांक
 सेतीन वर्ष के लिये किया जा रहा है।

उद्देश्य:— इस अनुबंध का उद्देश्य आर.एफ.आर.आई के सहयोग से मध्यप्रदेश के कृषको को बांस की अच्छी गुणवत्ता के तेजी से बढ़ने वाली उच्च उत्पादकता (Fast Growing High Yielding,

FGHY) वाली व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बांस की नयी किस्मों के पौधे उपलब्ध करवाना है जिससे मध्यप्रदेश के कृषको की आय को दोगुना किया जा सके।

सहमति के बिंदु निम्नानुसार है—

- 1) RFRI से किये गये अनुबंध के अंतर्गत द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष की संबद्ध प्रयोगशाला (affiliated biotechnology labs) के रूप में कार्य करने को सहमत है। मिशन द्वारा RFRI से किये गये अनुबंध की कण्डिका 4 के संदर्भ में द्वितीय पक्ष के बायोटेक्नोलॉजिस्ट प्रथम पक्ष के बायोटेक्नोलॉजिस्ट माने जायेंगे व इसी हैसियत से RFRI के साथ संयुक्त रूप से कार्य करेंगे।
- 2) RFRI से हुये अनुबंध में उल्लेखित बिंदु क्रमांक 1 में दर्शायी गयी प्रजातियों के लिये प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष द्वारा मिलकर कार्य किया जायेगा।
- 3) आर.एफ.आर.आई. से हुए अनुबंध के बिंदु क्रमांक 2 के तहत प्रत्येक जिनोम के लिये लगने वाली लाइसेंस फीस प्रथम पक्ष द्वारा वहन की जावेगी, बिंदु क्रमांक 3 के अंतर्गत व्यय की जाने वाली राशि द्वितीय पक्ष द्वारा तथा बिंदु क्रमांक 4 के तहत व्यय की जाने वाली राशि प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष द्वारा समान रूप से 1:1 अनुपात में वहन की जावेगी।
- 4) द्वितीय पक्ष के वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण के लिये RFRI, जोरहट, असम भेजने पर होने वाला समस्त व्यय (टी.ए., डी.ए., लॉजिंग व अन्य व्यय) द्वितीय पक्ष द्वारा ही वहन किया जावेगा।
- 5) RFRI को मिशन द्वारा किये गये वादे के अनुरूप IPR का द्वितीय पक्ष द्वारा पालन किया जावेगा व प्रक्रिया किसी तृतीय पक्ष को नहीं बताई जावेगी।
- 6) बिंदु 9 के अनुसार RFRI को सूचित करने के लिए मिशन को समस्त जानकारी दी जावेगी।
- 7) RFRI से किये गये अनुबंध की शर्त क्रमांक 2, 3 व 4 में किये जाने वाले कार्यों के लिये द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष की संबद्ध संस्था के रूप में कार्य करेगा। शर्त क्रमांक 7 के अनुसार मटेरियल ट्रांसपोर्ट एवं मास मल्टिप्लीकेशन पर होने वाला व्यय द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जावेगा।
- 8) प्रथम पक्ष द्वारा RFRI से किये गये अनुबंध की समस्त शर्तों का द्वितीय पक्ष द्वारा पालन किया जावेगा। मिशन बांस की प्रत्येक प्रजाति के विभिन्न भिन्नो से उत्पादित टिशु

कल्चर पौधो की प्रत्येक जिनोज्म के 1000 संख्या तक क्रय करेगा। विक्रय दरों को निविदाकार अपनी वित्तीय निविदा में इस प्रकार तय कर सकते है जिससे उनके द्वारा विकसित किये जा रहे पौधो के कल्चर व प्रोटोकाल पर आने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति हो सकें।

8. इस प्रकार उत्पादित किये गये पौधो का फील्ड ट्रायल प्रथम पक्ष द्वारा मध्यप्रदेश के विभिन्न अंचलो में किया जायेगा। फील्ड ट्रायल का एक वर्ष के बाद परिणाम देखने व डाटा का विश्लेषण करने के बाद बांस मिशन व RFRI मध्यप्रदेश में सफल बांस किस्म के रोपण पर कार्य करेंगे तथा संबंधित प्रयोगशाला (द्वितीय पक्ष) भी पौधा सप्लाई करने के लिये किये जाने वाले नये अनुबंध में भागीदार होंगी।
9. बांस मिशन व RFRI के बीच हुये अनुबंध की कण्डिका 5 के संदर्भ में चयनित प्रयोगशालाओ द्वारा मध्यप्रदेश के वन विभाग व कृषको के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति या संस्था को पौधे बिक्री करने के पूर्व प्रथम पक्ष की अनुमति लेनी होगी ¹
10. मिशन द्वारा क्रय किये गये पौधों का रोपण वन क्षेत्रों/कृषको के खेतों में किया जा सकता है। प्रयोगशालाओं द्वारा विकसित किये गये वांछित प्रजातियों के बांस पौधो की गुणवत्ता का निर्धारण बांस मिशन की "बांस तकनीकी सलाहकार समूह" द्वारा किया जायेगा। इस प्रकार गुणवत्तापूर्ण उत्पादित बांस के पौधो का विक्रय प्रयोगशालाओ से गुणवत्तापूर्ण द्वारा बांस कृषको व वन विभाग को अपनी खुली दरों से किया जा सकेगा। यह खुली दरें वित्तीय निविदा (Financial bid) में दी गई दर से अधिक नही होगी।
11. बांस मिशन द्वारा बांस तकनीकी सलाहकार समूह की अनुशंसा पर प्रदेश में बांस की विभिन्न किस्मों के पौधों के विकास के लिये प्रयोगशालाओं को चिन्हित किया जावेगा तथा कृषको द्वारा पौधे क्रय किये जाने पर अनुदान इसी शर्त पर दिया जावेगा कि वे मिशन द्वारा चिन्हित प्रयोगशालाओ से पौधे क्रय करेंगे।
12. RFRI व मिशन के बीच किया गया अनुबंध (संलग्न) भी इस अनुबंध का भाग होगा।

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

(प्रथम पक्ष)

(द्वितीय पक्ष)

गवाह –

1.

2.

वित्तीय बिड / फायनेन्सियल बिड
एजेन्सी (बायोटेक्नोलॉजी लेब / अनुसंधान शाला) का नाम.....

क्र.	बांस प्रजाति	माइक्रोप्रोपोगेशन से कुल प्रदाय किये जाने वाले पौधो की संख्या	बांस मिशन को विक्रय किये जाने वाली प्रति पौधा दर	कुल राशि (3x4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	बेम्बूसा बालकुआ			
2.	बेम्बूसा नूटन्स			
3.	बेम्बूसा टुल्डा			
4.	बेम्बूसा केचरेन्सिन			
5.	डेन्ड्रोकेलेमस हेमिलटोनी			
6.	थ्रिस्टेचीज ओलवरी			

नोट:- यह प्रपत्र ब्रीफिंग के तुरंत बाद भर कर सीलबंद लिफाफे में देना है।

वर्षा वन अनुसंधान संस्थान (RFRI), जोरहट, असम के सहयोग से नई किस्मों के विकास हेतु प्रदेश की बांस के टिशू कल्चर पौधे तैयार करने वाली निजी क्षेत्र की बायोटेक्नालोजी प्रयोगशालाओं को सूची बद्ध करने हेतु अभिरूचि की अभिव्यक्ति

द्वितीय आमंत्रण

क्र.	तकनीकी बिड हेतु मापदण्ड – चेक लिस्ट
1.	निविदाकार की बायोटेक्नालॉजी प्रयोगशाला मध्यप्रदेश में स्थित होना अनिवार्य है। कार्यरत वैज्ञानिक का सी.वी. – संलग्न करना अनिवार्य है।
2.	टिशू कल्चर के प्रतिवर्ष 5 लाख पौधे उत्पादित करने का क्षमता का प्रमाण पत्र – संलग्न करें।
3.	प्रयोगशाला में बांस के सायन मटेरियल से पौधे विकसित कर रोपण लायक पौधे विकसित करने की क्षमता का प्रमाण पत्र संलग्न करें।
4.	बांस का कल्चर विकसित करने का पूर्व अनुभव का प्रमाण पत्र संलग्न करें।
5.	मध्यप्रदेश में स्थित प्रयोगशाला के NCS-TCP प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।

टीप:- सभी मापदण्ड पूर्ण किया जाना अनिवार्य है।